दिनांक 14.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 575/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना नन्दग्राम

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 33 लाख 11 हजार 765 रूपये कीमत की धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **धोखाधड़ी के 05 लाख 08 हजार रूपये नगद**

दिनांक 14.11.2026 को सर्विलांस टीम नगर जोन व एसआईटी नन्दग्राम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 33 लाख 11 हजार 765 रूपये कीमत की धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण, धोखाधड़ी के 05 लाख 08 हजार रूपये नगद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो फर्जी प्रोजेक्ट के लिए आम लोगो को कम दामो पर फ्लैट/दुकान दिलाने एवं भविष्य में अच्छे मुनाफे के नाम पर बुकिंग कर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है, गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन उर्फ दीपक निवासी ई–15 चौथी मंजिल राजगार्डन सिटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्थाईपता श्रीनगर कॉलोनी सिंधोरा कला अशोक विहार नार्थ दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 33 लाख 11 हजार 765 रूपये कीमत की धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–धोखाधड़ी के 05 लाख 08 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सिगरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.11.2026 को थाना सिगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुर्जर भवन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिगरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार निवासी नियर बड़ा गुरूद्वारा मेहम जनपद रोहतक हरियाणा।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना ककरौली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख रूपये नगद**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 14.11.2026 को थाना ककरौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बेहड़ा सादात रजवाहे पटरी के पास से 02 अभियुक्तों 1–वरीन 2–नजर मोहम्मद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख रूपये नगद, चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.09.2026 को थाना ककरौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ककरौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वरीन निवासी कस्बा व थाना कांधला शामली, हालपता ग्राम बेहड़ा सादात थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

2–नजर मोहम्मद निवासी ग्राम बेहड़ा सादात थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–02 अभियुक्त गिरफ्तार।

2–चोरी के 06 लाख रूपये नगद।

3–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 44 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार आदि बरामद**

दिनांक 14.11.2026 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लतीफपुर के पास से 04 अभियुक्तों 1–रमेश कुमार 2–मोहन 3–पीयूष कुमार 4–गोविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 44 किलोग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमेश कुमार निवासी गुलरिया थाना भितहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार।

2–मोहन निवासी कटहा थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार।

3–पीयूष कुमार निवासी दुर्गवलिया घेरा टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर।

4–गोविन्द निवासी मिसरौली भुवालपट्टी थाना बिसुनपुरा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 44 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–03 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार आदि।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/354/354क/354ख/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ उर्फ बोना को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 18 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सोनभद्र पुलिस ने अभियुक्त 1–आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम परही थाना रॉबर्ट्सगंज 2–अखिलेश उर्फ धीरज पुत्र संजय केशरी निवासी वैनी थाना रायपुर 3–छोटू यादव उर्फ अमिनेष यादव पुत्र संकठा प्रसाद यादव निवासी मारकुण्डी थाना चोपन जनपद सोनभद्र द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 18 लाख रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

————————